# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 2030

दिनांक- 21.08.2025

## जोन- दक्षिणी / थाना- बंथरा

- **थाना बंथरा पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्यारोपी 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **मारपीट में प्रयुक्त लोहे की पाईप, लकड़ी की फन्टी किया गया बरामद।**

**01-संक्षिप्त विवरण -**

दिनांक 19/08/2025 को वादिनी पत्नी स्व0प्रदीप निवासी ग्राम- सराय शहजादी थाना बन्थरा लखनऊ की तहरीर बाबत वादिनी के पति प्रदीप दि0 19.08.25 को दोपहर में गाडी का पन्चर बनबाने के लिए घर से कटिबगिया चौराहे पर गये जहाँ गाड़ी का पन्चर बनवाते समय वादिनी के पति से पास में स्थित बेल्डिंग की दुकान पर मौजूद कुछ लोगों द्वारा वादिनी के पति के साथ गाली-गलौज करने व मना करने पर मौजूद लोगो द्वारा वादिनी के पति को डन्डे व लात घूसो से व लोहे की राड से मारपीट की गई जिसकी दौराने इलाज मृत्यु हो गई। प्रकरण के संबंध में तत्काल थाना बन्थरा लखनऊ पर मु0अ0सं0 296/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/105 बीएनएस बनाम अंकित, अमित, रवि, मनीष निवासी अज्ञात व अन्य अज्ञात लोग के विरूद्ध दिनांक 19.08.25 को पंजीकृत किया गया।

**जिसके पश्चात बंथरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये जांच के क्रम में उक्त अभियोग की घटना में नामजद मनीष व उसके भाई रंजीत की घटना में संलिप्तता के साक्ष्य पाये गये जिसके आधार पर रंजीत को प्रकाश में लाया गया तथा अन्य नामजद अंकित, अमित व रवि की संलिप्तता अब तक घटना में नही पायी गयी है।**

गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक बंथरा द्वारा टीम गठित द्वारा कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 21/08/2025 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमे से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त मनीष रावत उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र तुलाराम निवासी गुलालखेड़ा थाना मलिहाबाद लखनऊ हालपता भाईलाल का मकान स्थित ग्राम कटिबगिया थाना बन्थरा लखनऊ को खसरवारा वाले रोड से पहाड़पुर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर मारपीट में प्रयोग मे लाया गया एक चौकोर लोहे की पाइप व एक लकड़ी की फन्टी को बरामद कर कब्जा पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मनीष रावत उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। **फरार रंजीत की तलाश जारी है।**

**02-पंजीकृत अभियोग-**

**1.**मु0अ0सं0 296/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/105 बीएनएस थाना बंथरा लखनऊ

**03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1.मनीष रावत पुत्र तुलाराम निवासी गुलालखेड़ा थाना मलीहाबाद जनपद लखनऊ हालपता भाईलाल का मकान कटिबगिया थाना बन्थरा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष (व्यवसाय- लोहे के गेट/ग्रिल आदि बेल्डिंग का कार्य)

**04-बरामदगी का विवरण –**

- एक अदद चौकोर लोहे की पाइप
- एक अदद लकड़ी की फन्टी

**05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. अति0 निरीक्षक अब्दुल मोईज खान,
2. उ0नि0 हरीश चन्द्र,
3. का0 संदीप सरोज।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-2022**
**दिनांक-20.08.2025**

**जोन- पश्चिमी/ थाना-चौक**

- **थाना चौक पुलिस टीम द्वारा ज्वैलर्स की दुकान से चोरी करने वाले कारीगर एवं उसके सहयोगियो सहित कुल 04 शातिर वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी किये गये पीली धातु के अर्ध-निर्मित आभूषण 563.18 ग्राम (अनुमानित कीमत 50 लाख रूपया) बरामद किया गया।**

**01-कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के द्वारा अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखने एवं पूर्व में घटित घटनाओं का अनावरण किये जाने व वाँछित-वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेशो-निर्देशों के अनुपालन में श्री विश्वजीत श्रीवास्तव पुलिस उपायुक्त (प.) व श्री धनंजय सिंह कुशवाहा अपर पुलिस उपायुक्त (प.) के निर्देशन में श्री राजकुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त चौक के पर्यवेक्षण में श्री नागेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक चौक के नेतृत्व में चौक पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.08.2025 को हुसैनाबाद इंटर कॉलेज के पास थाना चौक लखनऊ से 04 शातिर चोर / अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

**02-संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 08.08.2025 को वादी मुकदमा श्री धर्मेन्द्र द्वारा लिखित तहरीर दी गयी थी मेरी दुकान जिसमें जेवर जुडाई वा बनवाई का कार्य होता है। इस दुकान पर काम करने वाले कारीगर अनिल चौधरी पुत्र सन्दीप कुमार निवासी-चौधरी गढैया सर्वेन्ट क्वाटर जगत नारायण रोड थाना वजीरगंज लखनऊ जो हमारे यहाँ 3-4 वर्षो से कार्य कर रहा था दिनांक 04.08.2025 को समय करीब 02.00 बजे वह मेरी दुकान से करीब 700.00 ग्राम सोने के जेवर जो अभी आधे तैयार हुऐ को बिना बताये लेकर चला गया है। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 205/2025 धारा 306 बीएनएस विरुद्ध अनिल चौधरी उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए उच्चाधिकारिगण के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक चौक द्वारा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.08.2025 को हुसैनाबाद इंटर कॉलेज के पास थाना चौक लखनऊ से अभियुक्तों 1. अनिल चौधरी उम्र करीब 24 वर्ष 2. यासिर हुसैन पुत्र उम्र करीब 27 वर्ष 3. मो0 मजहर उम्र करीब 30 वर्ष 4. उमेश कन्नौजिया उम्र 32 वर्ष गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–**

1. अनिल चौधरी पुत्र सन्दीप कुमार निवासी- चौधरी गढैया सर्वेन्ट क्वाटर जगत नारायण रोड थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष
2. यासिर हुसैन पुत्र अशद हुसैन निवासी- 467/110/1 शीशमहल हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष
3. मो0 मजहर पुत्र जफर निवासी- 461/458 हुसैनाबाद शिवपुरी मुर्ग खाना थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष
4. उमेश कन्नौजिया पुत्र जगन कन्नौजिया निवासी- 54/55/422 चौबे डेयरी के पास थाना मडियांव जनपद लखनऊ उम्र 32 वर्ष

**04-अनावरित अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 205/2025 अन्तर्गत धारा 306/319(2)/318(4)/317(2)/317(5)/61(2) बी0एन0एस0 थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ

**05-बरामदगी का विवरण –**

- **अर्ध-निर्मित के आभूषण (पीली धातु) 563.18 ग्राम (अनुमानित कीमत 50 लाख रूपये )**

**06-गिरफ्तार कर्ता टीम का विवरण-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय, थाना चौक, कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 पकंज कुमार यादव, चौकी प्रभारी चौक, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री लवलेन्द्र कुमार सिंह, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 श्री राहुल मिश्रा, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
5. उ0नि0 योगेन्द्र कुमार, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
6. का0 नवनीत, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
7. का0 चा0 भगत सिंह, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
8. म0का0 पूनम, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं-2029**
**दिनांक- 21.08.2025**

**जोन-मध्य/ थाना- हुसैनगंज**

- **थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

**01-संक्षिप्त विवरणः-**

थाना स्थानीय पर दिनांक 02.06.2022 को वादिनी/पीड़िता मुकदमा के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 0164/2022 धारा 376/506 भा0द0वि0 बावत वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में बनाम 1. हसीन कुरैशी उर्फ समीर के पंजीकृत कराया गया था।

मुकदमा उपरोक्त में नामित / वांछित अभियुक्त हसीन कुरैशी उर्फ समीर पुत्र सकील कुरैशी निवासी पीरजादगान थाना गढी पुख्ता जनपद शामली उम्र करीब 22 वर्ष को उसके निवास स्थान पीरजादगान थाना गढी पुख्ता जनपद शामली से दिनांक 20.08.2025 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकार आयोग के आदेशों / निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**02-अपराध का तरीकाः-**

अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा से शांदी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में।

**03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. हसीन कुरैशी उर्फ समीर पुत्र सकील कुरैशी निवासी पीरजादगान थाना गढी पुख्ता जनपद शामली उम्र करीब 22 वर्ष।

**04-पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 0164/2022 धारा 376/506 भा0द0वि0 थाना हुसैनगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

**आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है**

**05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. उ0नि0 गौरव पाण्डेय, थाना हुसैनगंज लखनऊ
2. का0 मोहित कुमार, थाना हुसैनगंज लखनऊ।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-2025
दिनांक-21.08.2025

## जोन-मध्य / थाना- हुसैनगंज

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना हुसैनगंज पुलिस लखनऊ एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत अभियोग में अन्तर्गत धारा 41/411/413 भा0द0वि0 में मा0 न्यायालय द्वारा सम्बन्धित अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**संक्षिप्त विवरणः -**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (मध्य) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) तथा सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज के निर्देशन में एवं थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार हे0का0 शरद सिंह के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए **माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 17 लखनऊ** के निर्णायक फैसला दिनांकित 20.08.2025 सम्बन्धित वाद सं0 1187/2015 मु0अ0सं0 206/2015 धारा 41/411/413 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त सनव्वर पुत्र तसव्वर निवासी रामलीला मैदान पुराना किला थाना हुसैनगंज लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए अन्तर्गत धारा 411 भा0द0वि0 में 03 वर्ष का कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास से अन्तर्गत धारा 413 भा0द0वि0 में 05 वर्ष का कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किये जाने का फैसला किया गया है।

**नाम पता अभियुक्तः-**

1. सनव्वर पुत्र तसव्वर निवासी रामलीला मैदान पुराना किला थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।

**फैसलाः-**

वाद सं0 1187/2015 मु0अ0सं0 206/2015 धारा 41/411/413 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त **सनव्वर पुत्र तसव्वर निवासी रामलीला मैदान पुराना किला थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ** को दोषसिद्ध करते हुए अन्तर्गत धारा 411 भा0द0वि0 में 03 वर्ष का कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास से अन्तर्गत धारा 413 भा0द0वि0 में 05 वर्ष का कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किये जाने का फैसला किया गया है।

**पैरवीकर्ता -**

1. थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
2. हे0का0 शरद सिंह, थाना हुसैनगंज लखनऊ।

## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2023

दिनांक- 21.08.2025

जोन- उत्तरी / थाना माल

- **थाना माल पुलिस टीम द्वारा वादी की नाबलिग बहन से दुष्कर्म करने का आरोपी 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

**01-सक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 20.08.2025 को वादी द्वारा उपस्थित थाना आकर बावत दिनांक 20.08.2025 की रात्रि में विपक्षी इस्लामू पुत्र हब्बी निवासी ग्राम जगतीखेड़ा मजरा थरी थाना माल लखनऊ के रहने वाले ने सुनसान रात में वादी की बहन (उम्र लगभग 16 वर्ष) जो शौच से वापस आ रही थी को अकेला देखकर अपनी मोटर साईकिल रोक दिया और बहन को अचानक पकड़ लेना व बाग में ले जाकर दुष्कर्म करना, विरोध करने पर जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/25 धारा 115(2)/352/351(2)/351(3)/64 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट व 3(1)द,ध व 3(2)5(ए) एससी/एसटी एक्ट बनाम इस्लामू पुत्र हब्बी निवासी ग्राम जगतीखेड़ा मजरा थरी थाना माल लखनऊ के रहने वाले अपने अज्ञात साथी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों की पतारसी/गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक माल नवाब अहमद, उ0नि0 मो0 रोशन मय हमराही कर्मचारीगण के क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर रूदानखेड़ा पुलिया पर अभियुक्त को घेरघार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से उनका नाम पता पूछा गया गया तो अपना नाम इस्लामू पुत्र हब्बी निवासी ग्राम जगतीखेड़ा मजरा थरी थाना माल लखनऊ बताया। अभियुक्त इस्लामू पुत्र हब्बी उपरोक्त को उनके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए आज दिनांक 21/08/2025 को गिरफ्तार किया गया तथा विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

**02-अपराध कारित करने का तरीका:-**

सूनसान रात में वादी की नाबलिग बहन जो शौच से वापस आ रही थी, को अकेला देखकर अपनी मोटर साईकिल रोक दिया और बहन को अचानक पकड़ लेना व बाग में ले जाकर दुष्कर्म करना, विरोध करने पर जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए मारपीट कारित करना।

**03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1.इस्लामू पुत्र हब्बी निवासी ग्राम जगतीखेड़ा मजरा थरी थाना माल लखनऊ,उम्र 25 वर्ष (व्यवसाय-डेयरी का काम)

**04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना माल लखनऊ**

1- श्री नवाब अहमद प्रभारी निरीक्षक थाना माल कमिश्नरेट लखनऊ
2- उ0नि0 श्री मो0 रोशन
3- का0 आशीष
4- का0 जसवीर सिंह

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं.-2024**
**दिनांक- 21.08.2025**

## जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

- थाना मडियांव पुलिस द्वारा 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- 11 अदद बण्डल इलेक्ट्रॉनिक कॉपर तार बरामद।
- थाना मडियांव पुलिस की कार्यवाही।

**01-संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 20.08.2025 को आवेदक श्री विमलेश मिश्रा पुत्र बीडी मिश्रा निवासी धर्मा इंटरप्राइजेज IIM रोड लखनऊ द्वारा बादवत वादी के धर्मा इंटरप्राइजेज दुकान पर फोन नं0 7800731627 द्वारा व्हाट्एप्प के जरिए पर्चा भेजकर सामान मंगा लेना तथा धोखाधडी करके क्यूआर कोड के माध्यम से कुछ पेंमेंट करना जो प्राप्त न होने तथा पोर्टल के माध्यम से सामान को वादी के दुकान से मगा लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर **थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 498/24 धारा 318(4) बीएनएस** बनाम बनाम 1. 7800731627, 7800731627, 9795586727 का धारक नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 21.08.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित/ अभियुक्तगण की तलाश में भिठौली तिराहे पर मामूर थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि कोयला ढ़लान सीतापुर रोड़ पर तीन व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी में कुछ महंगे इलेक्ट्रॉनिक के तारों के बंडल लिये बेचने की फिराक में खड़े है, अगर जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है। मुखबिरखास की सूचना पर मुखबिरखास द्वारा बताये गये व्यक्तियों को हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम सुन्दरम उर्फ सतीश पुत्र शिवशंकर उम्र 22 वर्ष, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम ऋषि कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 जयकिशन गुप्ता उम्र 35 वर्ष तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मो0 शादाब पुत्र अरशद अली उम्र 32 वर्ष बताया।

जिनके कब्जे से 11 अदद बण्डल इलेक्ट्रॉनिक कॉपर तार एक बोरी में बरामद हुआ। **बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/316(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।** पकड़े गये व्यक्तियों को उनके द्वारा कारित जुर्म व जुर्म धारा 318(4)/317(2)/316(2) बीएनएस से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।**

**02-अपराध कारित करने का तरीका:-**

अभियुक्तों द्वारा दुकान से धोखाधड़ी से कापर के बिजली के तारों के बंडल प्राप्त करके बेचने के लिए जाना।

**03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

1. सुन्दरम उर्फ सतीश पुत्र शिवशंकर नि0 554ख/182 विशेश्वर नगर थाना आलमबाग जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष (व्यवसाय- नगर निगम में)
2. ऋषि कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 जयकिशन गुप्ता नि0 अशोक विहार सोनापुरम थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ उम्र 35 वर्ष (व्यवसाय- बिजली का काम)
3. मो0 शादाब पुत्र अरशद अली नि0 अन्धे की चौकी सिकरौरी थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 32 वर्ष (व्यवसाय- बिजली का काम)

**04-बरामदगी:-**

- 11 अदद बण्डल इलेक्ट्रॉनिक कॉपर तार

**05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 पुष्पेन्द्र चौधरी
2. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 संदीप्त कुमार
4. का0 जितेन्द्र पाल
5. कां0 मनोज कुमार

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं-2027**
**दिनांक-21.08.2025**

## जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **थाना महानगर पुलिस द्वारा एक नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार ।**

**01.संक्षिप्त विवरण–**

अभियुक्त 1. हेमन्त सोनपुर पुत्र ज्ञानेश सोनकर निवासी ई-62 विकास भवन के पीछे सर्वोदय नगर थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ उम्र 32 वर्ष जो काफी दिनो से फरार चल रहे थे और मा0 न्यायालय में तारीख पेशी पर समय से उपस्थित न होने के कारण अभियुक्त हेमन्त सोनकर उपरोक्त के विरूद्ध अपराध संख्या 18/17 वाद संख्या 303/19 धारा 2/3यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना महानगर लखनऊ में मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया था।

अभियुक्त हेमन्त सोनपुर उपरोक्त को थाना महानगर पुलिस टीम द्वारा दि0 21.08.25 को अंकित पते ई-62 विकास भवन के पीछे सर्वोदय नगर थाना गाजीपुर लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. हेमन्त सोनपुर पुत्र ज्ञानेश सोनकर निवासी ई-62 विकास भवन के पीछे सर्वोदय नगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र 32 वर्ष

**04-संबन्धित वाद-**

1. मु0अ0सं0 18/17 वाद संख्या 303/19 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना महानगर लखनऊ

**05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -**

1. उ0नि0 उ0नि0 महेश कुमार थाना महानगर लखनऊ

साहब आज ट्रेन में ज्यादा भीड़ थी एवं ट्रेन लेट थी जिसके कारण हम लोगो ने आज बस से जाने का प्लान बनाया था और बस के इन्तजार में खड़े थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 45/25 धारा 08/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया है।

**02-अपराध का उद्देश्य:-**

उपरोक्त अभियुक्तगण गाँजा को पश्चिम बंगाल के न्यू कूच विहार स्टेशन से प्राप्त करते है और उसको बैगों में भरकर बेचने के लिये दिल्ली ले जाते है जिसका उन्हे अच्छा खासा रूपये मिलता है।

**03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -**

1. अनिल कुमार पुत्र स्व0 रामबचन निवासी ग्राम मुइयापार थाना मिलेरियागंज जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश उम्र करीब 35 वर्ष
2. प्रदीप मोदक पुत्र हरचन्द्र मोदक निवासी सादीअलैर कुठी थाना साहबगंज जिला कूच बिहार पश्चिम बंगाल उम्र करीब 34 वर्ष

**04-बरामदगी-**

- कुल बरामदगी 04 अदद ट्राली बैग व दो अदद पिठ्ठू बैग से कुल बरामद 66.938 किलोग्राम अवैध गांजा
- 02 अदद मोबाइल फोन व 3100/- रूपये

**A-अभियुक्त- अनिल कुमार उपरोक्त के कब्जे से बरामद सामान-**

- एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी का एक अदद आधार कार्ड व 1450/- रू0
- दो ट्राली बैग से क्रमशः वजन 15.260 किलोग्राम व 15.270 किलोग्राम तथा पिठ्ठू बैग से 5.320 किलोग्राम अवैध गाँजा

**B-अभियुक्त- प्रदीप मोदक उपरोक्त के कब्जे से बरामद सामान-**

- एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी का व आधार कार्ड व 1650/- रू0
- दो अदद ट्राली बैग से क्रमशः वजन 15.310 किलोग्राम व 15.210 किलोग्राम अवैध गाँजा

**06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम थाना-मानकनगर लखनऊ।**

1. थानाध्यक्ष श्री अजीत कुमार
2. उ0नि0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह
3. उ0नि0 श्री मिथिलेश यादव
4. हे0का0 अलाउद्दीन
5. का0 उपेन्द्र कुमार
6. का0 प्रकाश यादव
7. का0 दिनेश धनगर